न्यायालय जिला न्यायाधीश, धौलपुर।

मूर्ति श्री रामचन्द्र जी व अन्य बनाम मीना देवी व अन्य

मूल वाद सं. 01/2013

दिनांक 12.01.2026

वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी पक्ष, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 60 साक्ष्य अधिनियम का कोई जबाव देना नहीं चाहा व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अनापत्ति जाहिर की।

सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा धारा 60 साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गयी है जिस पर अधिवक्ता वादी की ओर से अनापत्ति जाहिर की है अतः प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 60 साक्ष्य अधिनियम स्वीकार कर प्रतिवादी को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 30.01.2026 को पेश हो।

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)